न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 20 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जीवनदान पुत्र शक्तिदान
2. अर्जुनदान पुत्र शक्तिदान
   जाति चारण निवासी धोलिया
   तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोर्डेंटगण

बनाम श्रीमती भीखकंवर पत्नी बाबुदान पुत्री शक्तिदान जाति चारण निवासी भीखोडाई तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 278 / 2013 बअनवान भीखकंवर बनाम जीवनदान वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री मुकेश जैन अपीलान्ट की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री राऊराम चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 16.07.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पाडेंट / वादीनी द्वारा एक राजस्व वाद 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि खसरा संख्या 161 रकबा 178.13 बीघा व खसरा संख्या 321 रकबा 228.05 बीघा ग्राम धोलिया तहसील शिव में अवस्थित है। पक्षकारान मुतवफी शक्तिदान की संताने है। शक्तिदान के दो पुत्र और चार पुत्रीयां है। शक्तिदान के एक पुत्र और आवड़दान था जो लम्बे समय से लापता होने से उसे मृत घोषित किया जाकर उसकी प्रविष्ट राजस्व रेकर्ड से निरस्त कर दी गई थी और उसके हक शक्तिदान के शेष वारिसान मे निहित हो गये थे। पक्षकारान के पितामह स्वर्गीय बागदान के दो पुत्र शक्तिदान व हेमदान थे जिनमें से पारिवारिक विभाजन से खसरा संख्या 161 की भूमि में हेमदान का 1 / 10 हिस्सा और शक्तिदान के वारिसान का 9 / 10 हस्सा तथा खेत खसरा संख्या 321 की भूमि में हेमदान का 3 / 5 हिस्सा और शक्तिदान का 2 / 5 हिस्सा हुआ। वादीनी ने शक्तिदान के हिस्से में बनने वाले अपने 1 / 6 हिस्से को घोषित करवाने का वाद पेश किया। अपीलाधीन आराजी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ.ऑ. शिव में रहन रखी होने के बावजूद बैक को पक्षकार नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार था। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय में मात्र यह लिखा है कि प्रतिवादीगण अपीलकर्तागण के पक्ष में वादीनी एवं उसकी अन्य बहिनों ने जो हकतर्कनामा निष्पादित किया गया है वह हकतर्कनामा रजिस्टर्ड नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज की विधिक मान्यता शून्य होती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को सपार्शिवक साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है इस आधार पर एवं हकतर्कनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है इस आधार पर भी रेस्पोडेंट द्वारा हकतर्कनामा निष्पादित किया जाना माना जायेगा एवं वादीनी इस हकतर्कनामा से पूर्णतया पाबंद है। अपीलांटगण द्वारा अपने जबावदावा एवं अपने द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य मे यह स्पष्ट रूप से साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट/वादीनी का कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है। वादिनी उतरदाता द्वारा अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से हेमदान का हिस्सा होना तो अंकित किया है लेकिन उसका हिस्सा प्रभावित नहीं होने के कारण उसको पक्षकार नहीं बनाये जाने की बात लिखी है जो कानूनन गलत है, हेमदान का हिस्सा भी रेकर्ड के विपरीत लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी बाड़मेर सेन्ट्रल कॉ.ऑ. शिव में रहन रखी होने के बावजूद बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय में मात्र यह लिखा है कि प्रतिवादीगण अपीलकर्तागण के पक्ष में वादीनी एवं उसकी अन्य बहिनों ने जो हकतर्कनामा निष्पादित किया गया है वह हकतर्कनामा रजिस्टर्ड नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं तथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज की विधिक मान्यता शून्य होती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को सपार्शिवक साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है इस आधार पर एवं हकतर्कनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है इस आधार पर भी रेस्पोडेंट द्वारा हकतर्कनामा निष्पादित किया जाना माना जायेगा एवं वादीनी इस हकतर्कनामा से पूर्णतया पाबंद है। अपीलांटगण द्वारा अपने जबावदावा एवं अपने द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य मे यह स्पष्ट रूप से साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेंट/वादीनी का कभी भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है। वादिनी उतरदाता द्वारा अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से हेमदान का हिस्सा होना तो अंकित किया है लेकिन उसका हिस्सा प्रभावित नहीं होने के कारण उसको

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्षकार नहीं बनाये जाने की बात लिखी है जो कानूनन गलत है, हेमदान का हिस्सा भी रेकर्ड के विपरीत लिखा गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद में कायम की गई सम्पूर्ण तनकीयों का विवेचन अलग–अलग रूप से किया जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 का एक साथ विवेचन कर यह अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जबकि तनकी संख्या 01 व 02 अपने आप में स्वतंत्र तनकीयात थी न कि एक दूसरे की पूरक। तनकी संख्या 01 व 02 का एक साथ निस्तारण करने में कानूनन व इंसाफन भूल की है। अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अपीलाधीन निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादिनी द्वारा अपीलांटगण के हक में कोई हकतर्कनामा निष्पादित नहीं किया गया है। कथित हकतर्कनामा, जो रेस्पोडेंट द्वारा नहीं किया गया है और नोटिरी द्वारा तस्दीकशुदा होने किन्तु सक्षम रजिस्ट्रेशन अधिकारी से रजिस्टर्ड नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। यदि हकतर्कनामा के आधार पर शक्तिदान के फोतगी पर उसके वारिसान हकों का निर्धारण हुआ होता तो फोतगी पर दायर नामान्तरकरण में उस हकर्तकनामा का उल्लेख अवश्य होता। अपीलाधीन आराजी के सहखातेदार हेमदान के वारिसान से कोई इस्तदुआ नहीं चाहने तथा दावा स्वीकृति की अवस्था में उनके हक प्रभावित नहीं होने से उन्हें वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत विवेचन कर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज जाकर अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। रेस्पोडेंट का भी इसमें निहितांश है, वह वादग्रस्त खसरा संख्या 161 की भूमि में अपना 1/06 हिस्सा (कुल का 3/20 हिस्सा) तथा खसरा संख्या 321 में भी 1/6 हिस्सा (कुल का 1/15 हिस्सा) जन्म से ही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मुताबिक रखती है। अपंजीबद्ध हकतर्कनामा विधि की दृष्टि में सबूत के तौर पर ग्राह्य नहीं हैं जिसकी प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत DNJ (Raj.) 2013(3) Page 997 के आलोक में पुष्टि होती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2069–2072 मुताबिक वादग्रस्त भूमि सहखातेदारी की है और

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

इसमें अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है, जो आवश्यक है, मुताबिक जमाबंदी वादग्रस्त भूमि BCCB के नाम रहन है जिसे भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन निर्णय वादपत्र में चाही इस्तदुआ पद संख्या 12(1) से सर्वथा मेल नहीं खाता है। उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आलोक में अपीलाधीन निर्णय निरस्त करने योग्य है।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 278/2013 बअनवान भीखकंवर बनाम जीवनदान वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.02.2019 को निरस्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे आवश्यक पक्षकारों का संयोजन करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर निर्णय पुनः पारित करे।

16/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/7/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner